दिनांक 29.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ प्रियदर्शिनीय गृह निर्माण समिति के स्वीकृत ले–आउट पर निर्मित सड़क **पर** पोरवाल इंडस्ट्रीज द्वारा किये गये अवैध निर्माण तथा निगम जनदर्शन में किये गये शिकायत के आधार पर निगम के तोड़फोड़ दस्ता ने सहायक राजस्व अधिकारी एवं इंजीनियर की उपस्थिति में कुरुद में अवैध निर्माण को ढ़हाया, तथा आकाश गंगा में अवैध रुप से लगाये गये ठेले को जप्त किया गया।

आयुक्त के0एल0 चौहान ने निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण पर शक्ति से कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं जिसपर सभी जोनों के राजस्व अमला अपने क्षेत्र में निगरानी कर होने वाले अवैध निर्माण पर कार्यवाही कर रहें हैं । इसी क्रम में कुरुद में प्रियदर्शिनीय गृह निर्माण समिति के स्वीकृत ले–आउट क्षेत्र में समिति द्वारा निर्माण किये गये सड़क पर पोरवाल इंडस्ट्रीज द्वारा अवैध निर्माण किया गया था जिसकी शिकायत के आधार पर आयुक्त ने भवन अनुज्ञा शाखा तथा तोड़फोड़ विभाग को तत्काल उक्त अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिये थे, मंगलवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर किये गये अवैध कब्जे को ढ़हा दिया। वहीं आकाश गंगा में आकाश द्वीप काम्प्लेक्स के सामने अवैध रुप से ठेला रखे जाने की शिकायत निगम जनदर्शन में प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए अवैध ठेले को जप्त कर लिया गया। ठेला संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं विगत् एक माह पूर्व सागर मध्यप्रदेश से भिलाई आकर इस ठेले को लगा रहा हुं जो किराये से है । ठेला का मालिक चन्द्रा मौर्या सिनेमा के सामने अपना खुद का ठेला लगाकर व्यवसाय करता है और शासकीय भूमि को कब्जा करने की नियत से ठेला लगाकर किराये से चलवाता है।

कार्यवाही में तपन अग्रवाल, विनोद चन्द्राकर, दयाल दास साहू, जगमोहन वर्मा, मलखान सिंह सोरी, यतीन्द्र नाथ देवांगन, प्रकाश अग्रवाल, बालकृष्ण नायडु, सहित तोड़फोड़ विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी